



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

पत्रांक:-
सेवा में,

1173

जल जीवन मिशन

194

दिनांक
ई-मेल

27.8.2026

ADM(N.G.)

विषय :-

जिलाधिकारी
फिरोजाबाद।

जसराना क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के उपरांत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के क्रम में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्थानीय ई-पेपर में प्रकाशित समाचार "टूटी सड़कों को ठीक कराने के लिए एम ने दिए निर्देश" के क्रम में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2026 को अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), फिरोजाबाद द्वारा जसराना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की सुनवाई के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के उपरांत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में जल जीवन मिशन फेज- 4 के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य M/s Larsen & Toubro (L&T) द्वारा कराया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के पश्चात हाइड्रो टेस्टिंग एवं क्रियाशील गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संबंधित मार्गों का मानकानुसार रोड पुनर्स्थापना कार्य कराया जाता है।

उक्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), फिरोजाबाद द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से रोड रेस्टोरेशन से संबंधित ग्रामों में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्स्थापना कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधित फर्म M/s Larsen & Toubro (L&T) को कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं। साथ ही, संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया है कि पाइपलाइन संबंधी कार्य पूर्ण होने के उपरांत लंबित रोड रेस्टोरेशन कार्य को निर्धारित मानकों, गुणवत्ता एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए तथा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), फिरोजाबाद द्वारा भी उक्त प्रकरण में एक माह के भीतर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कराने हेतु समयसीमा निर्धारित की गई है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में संबंधित फर्म को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। अतः समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में की गई उक्त कार्यवाही को अनुपालन के रूप में सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ० प्र० जल निगम ग्रामीण, लखनऊ।
मुख्य अभियंता (आ० क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम ग्रामीण, आगरा।
अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता

टूटी सड़कों को ठीक कराने के एडीएम ने दिए सख्त निर्देश

जसराना। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहन लाल गुप्ता ने पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है।

बैठक में ग्राम प्रधानों ने जल जीवन मिशन के तहत हो रही लापरवाही को लेकर अपनी गंभीर समस्याएं रखीं। प्रधानों में मुकेश कुमार, दामोदर सिंह, देवेन्द्र सिंह, विकास चौहान, नागेश राजपूत, लोचन सिंह, आशीष चौहान और राजकिशोर आदि ने एडीएम के सामने जमीनी हकीकत बयां की। प्रधानों का आरोप था कि गांवों के भीतर पाइपलाइन डालने का काम महीनों से अधूरा पड़ा है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को तोड़ा तो गया, लेकिन उनकी वापस मरम्मत नहीं कराई गई।